न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :**मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3633–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–06–2013 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 261/ए/2011–12

.....

शिवसिंह चौहान पुत्र श्री छतरसिंह
निवासी वार्ड नम्बर 9 पशु चिकित्सालय के पास,
मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कलाबाई पत्नी स्व0मोतीलाल
निवासी वार्ड नम्बर 3 होली मोहल्ला, प्रियंका लॉज के पास,
मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदिका

– – –

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदिका

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/10/15 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कस्बा

मंडीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 162 रकबा 1.34 एकड़ का उसके द्वारा द्वारा सीमांकन कराये जाने पर सीमांकन में 0.10 डिसमिल पर भगवतसिह एवं 0.12 डिसमिल पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है। अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/10–11 दर्ज कर दिनांक 30–12–2011 को अंतिम आदेश पारित किया जाकर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2012 को आदेश पारित अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 12–6–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका एवं आवेदक की भूमि के मध्य नाला है, अतः अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होना संभव नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में स्थायी सीमा चिन्हों का न तो उल्लेख किया गया है और न ही स्थायी सीमा चिंहों से मिलान करने का उल्लेख किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन आवेदक के पीठ पीछे किया गया है, इसलिये उसे सीमांकन की जानकारी नहीं होने के कारण वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिपरीक्षण में राजस्व निरीक्षक ने स्वयं स्वीकार किया है कि सीमांकन में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न व मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित हुआ है । इस आधार पर भी कहा गया कि सीमांकन की जानकारी आवेदक को नहीं थी । यह भी कहा गया कि सीमांकन में आसपास की भूमि का उल्लेख नहीं है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आसपास की भूमि का उल्लेख होना आवश्यक है । यह भी तर्क प्रस्तुत

किया गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में बेकब्जा करने का दिनांक एवं किस प्रकार बेकब्जा किया गया, इसका उल्लेख होना चाहिये, जो कि आवेदन में नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2014 आरएन 69, 1996 आरएन 357, 2004 आरएन 100 2006 आरएन 218 एवं 2005 आरएन 33 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका की भूमि का सीमांकन गठित सीमांकन दल द्वारा विधिवत् रूप से किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन की कार्यवाही में पटवारी ने आवेदक को सूचना दी है, राजस्व निरीक्षक ने नहीं, इस कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसील न्यायालय में सूचना नहीं देने के तथ्य को स्वीकार किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें तामील स्वरूप उसके हस्ताक्षर है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जाये कि सीमांकन की जानकारी आवेदक को नहीं थी, तब भी संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में जैसे ही आवेदक को सीमांकन की जानकारी हुई उसे सीमांकन आदेश को चुनौती देना चाहिये थी, परन्तु उक्त कार्यवाही आवेदक द्वारा नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन होने के उपरांत ही कब्जे के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और अनावेदिका द्वारा सीमांकन आदेश के 2 वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि समय सीमा में है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1997 आरएन 92, 1998 आरएन 192 एवं 2006 आरएन 415 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में

आई साक्ष्य की अति विस्तार से विवेचना की जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक शिवसिंह को सीमांकन की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि आवेदक पर विधिवत् सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है और सीमांकन नियमानुसार स्थायी सीमाचिन्हों से नहीं किया जाकर सड़क और नदी जैसे सीमाचिन्हों से किया गया है जिससे सीमांकन में अन्तर आना स्वाभाविक है, अतः सीमांकन विधिवत् नहीं किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में किये गये अवैधानिक सीमांकन के आधार पर अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में वर्ष 1995 आरएन 214 प्रेमराज विरूद्ध शांतिबाई में स्पष्ट न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "संहिता की धारा 250 – व्यप्ति – सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर कब्जा प्रर्त्यावतन हित आवेदन – सीमांकन दोनों पक्ष की उपस्थिति में नहीं किया गया – ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर कब्जे के प्रत्यावर्तन का आदेश अवैध है ।" अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित नहीं है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में की गई है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा निकाले गये निष्कर्षो को उचित ठहराते हुये उनका आदेश यथावत रखकर अपील निरस्त की गई है जो कि वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा इस आधार पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है और सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार के आदेश के पालन में टीम गठित की जाकर की गई है तथा स्वयं तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–1–2009 को सीमांकन का प्रकरण समाप्त किया गया है । यदि सीमांकन की कार्यवाही में त्रुटि थी तो तहसीलदार द्वारा

प्रकरण में पुनः सीमांकन का आदेश क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने में कृषक का दायित्व नहीं होता है, परन्तु उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इस कारण तहसीलदार के समक्ष सीमांकन आदेश पारित करते समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की जा सकी है और उनके द्वारा सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया है । यदि सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में किया गया होता तब निश्चित रूप से आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत होती । आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जाकर उनके आदेश निरस्त किये गये है, परन्तु संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र का गुणदोष पर निराकरण नहीं किया गया है, जबकि यह उनका विधिक दायित्व था कि कब्जे के संबंध में स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित करते क्योंकि आवेदक की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि उभय पक्ष की भूमि के मध्य नाला है, इसलिये अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा नहीं हो सकता है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–06–2013 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2012 एवं तहसीलदार, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2011 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर